


बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री नागेन्द्र चौबे, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, प्रखंड- रानीगंज, जिला- अररिया सम्प्रति आपूर्ति निरीक्षक, प्रखंड- छातापुर, जिला- सुपौल के विरुद्ध विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक- 24 दिनांक- 05.01.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए संयुक्त आयुक्त, (विभागीय जाँच) पूर्णिया प्रमंडल पूर्णिया को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था।


2. श्री नागेन्द्र चौबे के विरुद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही में संयुक्त आयुक्त(विभागीय जाँच), पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया के स्थान पर आयुक्त के सचिव, पूर्णिया प्रमंडल पूर्णिया को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक- 24दिनांक- 05.01.2016 की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेगी।


(चन्द्रशेखर)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-प्र08गो0आ0(अररिया)-66/2015 5721 /खाद्य,पटना/दिनांक 13.11.17
प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, अररिया/सुपौल/आयुक्त के सचिव, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया
-सह- संचालन पदाधिकारी(आरोप पत्र प्रपत्र 'क' एवं साक्ष्यों की दो प्रतियों के साथ)/ जिला
आपूर्ति पदाधिकारी, अररिया-सह-साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी-03 खाद्य
एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा श्री
नागेन्द्र चौबे, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, प्रखंड- रानीगंज, जिला- अररिया सम्प्रति आपूर्ति
निरीक्षक, प्रखंड- छातापुर, जिला- सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।